




कार्यालय आदेश

भारत सरकार द्वारा Ease of Doing Business के अर्न्तगत वर्ष 2017 के Business Reforms Action Points जारी किये गये हैं। उक्त Action Points में एक बिन्दु यह भी है कि Pre-establishment & Pre-operation हेतु किसी भी entrepreneur को पृथक-पृथक विभागों की website पर आवेदन करने हेतु पृथक-पृथक ID की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1335/VII-2-16/66- एम. एस.एम.ई. दिनांक 11.08.2016 के माध्यम से आदेश निर्गत हैं कि “उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली- 2015 के अर्न्तगत दी जाने वाली अनुज्ञाओं/अनुमति के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सिंगल विन्डो पार्टल/सिस्टल के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये”।

इस संबंध में उत्तराखण्ड शासन में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2017 को हुई बैठक में चर्चा में यह बिन्दु आया कि सभी Entrepreneurs को Pre-establishment/ Pre-operations स्वीकृती हेतु राज्य के Single Window Clearance System (SWCS) Portal के माध्यम से ही आवेदन करना है।

उक्त Portal पर उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त करने हेतु लिंक उपलब्ध है।

अतः एतद्वारा बोर्ड स्तर से तत्काल प्रभाव से किसी भी Entrepreneur को ID/Password जारी नहीं किये जायेंगे। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए entrepreneur को SWCS Portal के माध्यम से आवेदन करने हेतु अवगत कराया जायेगा, एवं अपने अपने क्षेत्रों में औद्योगिक संगठनों के साथ meeting/workshop कर उक्त आदेश से उद्योगों को अवगत कराया जायेगा।


(विनोद सिंहल)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
- 2) प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3) निदेश, उद्योग निदेशालय, पटेल नगर, देहरादून।
- 4) समस्त युनिट हेड, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुपालनार्थ।
- 5) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रुड़की/हल्द्वानी/काशीपुर को उक्त आदेश का अनुपालन करने हेतु प्रेषित।
- 6) गार्ड फाईल।


सदस्य सचिव

(9/1) L